**न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क.सं. 2 इलाहाबाद।**

**परिवाद संख्या–1285/2021**

सीता देवी बनाम राजकुमार आदि

**16.12.2022**

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। परिवादिनी अधिवक्ता को पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

अवलोकन से विदित है कि आवेदिका सीतादेवी द्वारा विपक्षी राजकुमार व तीन अन्य के विरूद्व संबधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 156(3) दं.प्र.सं. पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकितः 20.12.2021 के माध्यम से प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया।

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परिवादिनी द्वारा स्वंय का बयान धारा 200 दं.प्र.सं. एवं धारा 202 दं.प्र.सं. के तहत साक्षी अनिल कुमार यादव एवं रंग बहादुर को परीक्षित कराया है।

पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

परिवादिनी का परिवाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांकः 25.9.2021 को समय 2 बजे विपक्षीगण उसके घर आकर भददी भददी गालियॉ दिये। मना करने पर बाल पकड़कर घूसा मूका थप्पड से मारा पीटा एवं विपक्षीगण ने मकान का ताला तोड़कर घर के अन्दर से साठ हजार रूपये जबरन लूट लिये तथा जे.सी.बी. से घर के सामने रखी बालू जबरन उठा ले गये।

प्रकरण में न्यायालय के आदेश से धारा 202(1) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस से जॉच कर आख्या आहूत की गई जो पत्रावली पर संलग्न है।

धारा 202(1) दं.प्र.सं. के तहत पुलिस से जॉच आख्या में यह उल्लिखित है कि घटना के दिन सिफ कहासुनी हुई थी जिसके संबध में थाना स्थानीय पर प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों की तरफ से मुकदमा पंजीकृत है।

समस्त के अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित हो रहा है कि उभय पक्ष के मध्य विवाद है जिसके संबध में उभय पक्ष द्वारा संबधित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। परिवादी का परिवाद

कथानक खुद में अविश्वस्नीय प्रतीत होता है। परिवादिनी द्वारा जहॉ एक ओर किसी के द्वारा भी घटना में बीच बचाव न करना अभिकथित किया है वही उसके द्वारा स्वंय के बयान में घटना के समय उपरोक्त दोनों साक्षियों को उपस्थित होने तथा अन्य कई लोगों के द्वारा घटना की विडियोक्लिप बनाये जाने का साक्ष्य अभिकथित किया गया है। परिवादिनी ने विपक्षीगण द्व ारा घर में घुसकर गाली गलौज एवं मारपीट करने का अभिकथन किया है साथ ही अग्रेतर मकान का ताला तोड़कर साठ हजार रूपये एवं जे.सी.बी. से बालू उठा ले जाने का अभिकथन किया है जो विश्वस्नीय प्रतीत नही होता है। परिवादिनी द्वारा तीन विपक्षीगण द्वारा मारे पीटे जाने का उल्लेख किया है परन्तु कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्रावली पर संलग्न नही है।

यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण की घटना 2.00 बजे की अभिकथित है, दिन दहाड़े घर मे घुसकर मारपीट किये जाने एवं लूटपाट किये जाने की घटना प्रथम दृष्टया स्वाभाविक प्रतीत नही होती है।

उपरोक्तानुसार मामलें के तथ्य एवं परिस्थितियों में समस्त के अवलोकन के पश्चात परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं.प्र.सं. निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती नूतन चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
**क.सं.2 इलाहाबाद।**